



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112025-267742  
CG-DL-E-17112025-267742

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 343]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

फा. सं. 17(20)/2021-पीएल/एनजीटी.—राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) के साथ पठित न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 5 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने डॉ सुजीत कुमार बाजपेयी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए या सङ्स्थावर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2025

**F. No, 17(20)/2021-PL/NGT.** —In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) read with clause (ii) of Section 5 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government has appointed Dr. Sujit Kumar Bajpayee, as the Expert Member of the National Green Tribunal for a period of four years from the date of assumption of charge or till he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

VED PRAKASH MISHRA., Jt. Secy.